



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23415

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 3841 वर्ष 2026

मालती

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : देवव्रत यादव, कुमार गौरव, राम प्रताप यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67-क के तहत दायर आवेदन दिनांक 02.12.2025 को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देना है।
- यह तर्क दिया गया है कि मामला काफी समय से प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है और काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि संबंधित प्राधिकारी मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को संबंधित प्राधिकारी को उपरोक्त मामले/आवेदन को कड़ाई से कानून के अनुसार, लेकिन संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो, शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

3 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"